

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 177/2016 वाद

सुरेश पिता मांगीलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
- वादी

//बनाम//

1. रामलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
2. शम्भुलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
3. पृथ्वीराज पिता मांगीलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
4. पवन कुमार पिता मांगीलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
5. श्रीमती चांदी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी रामलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा हा.मु. कानका पोस्ट घोसुन्डी, तहसील जावदा जिला नीमच, म.प्र.।
6. श्रीमती केसर बाई धर्मपत्नी मांगीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा। - प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 10.04.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को हिस्से अनुसार फर्द विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था। अधिवक्ता वादी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में बंटवारा की सहायता नहीं चाहिए इसलिए घोषित हिस्से अनुसार ही वाद अन्तिम डिक्री किया जावे। वादी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादीया का वाद कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत भूमि मौजा साकरिया की खाता संख्या 150 की आराजी नं. 495, 511, 513 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.0900 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/7 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 04.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

